

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक २५/११/२०१९

आदेश

वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या-86 पर परिवहन विभाग हेतु की गई घोषणा के क्रम में निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है:-

1. मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. मंत्री, परिवहन विभाग
5. राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग

- संयोजक

उक्त उपसमिति राज्य में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बेतहाशा वृद्धि की विकराल त्रासदी की समस्या के निदान हेतु विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे प्रयासों/उपायों/कार्यों की क्रियान्विति की समीक्षा कर सुझाव देगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, परिवहन विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव शासन सचिव, परिवहन विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से


(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, संबंधित विभाग.....।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।


(कैलाश चन्द गुप्ता)
व० शासन उप सचिव